

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 83/2025(GCMS : 2025/181)

कृष्णलाल पुत्र हनुमान उम्र 50 साल जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके, तहसील रायसिंहनगर तत्कालीन जिला अनूपगढ़ वर्तमान जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. नरसीराम पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर, तत्कालीन जिला अनूपगढ़ (वर्तमान जिला श्रीगंगानगर)
2. लालचन्द पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर, तत्कालीन जिला अनूपगढ़ (वर्तमान जिला श्रीगंगानगर)
3. धनराज पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर, तत्कालीन जिला अनूपगढ़ (वर्तमान जिला श्रीगंगानगर)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व रायसिंहनगर



18.02.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश गोदारा ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 आरटीए व 212 आरटीए के एकट विचाराधीन प्रकरण संख्या 139/2020 अनवानी धनराज बनाम कृष्णलाल में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 139/2020 अनवानी धनराज बनाम कृष्णलाल अन्तर्गत धारा 88, 188ए, 92ए व धारा 212 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल कराने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Mand)

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

